<u>**नियम और शर्तें**</u>

1. मेरे द्वारा दिया गया मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल पता सही है तथा मैं इनकी सत्यता के लिये उत्तरदायी हूॅ।

2. मैं पंजीकृत पहचान प्रमाण पत्र में से कोई एक ई-पंजीयन एप्लीकेशन में अपलोड करूँगा/करूंगी जो मूल से सत्यापित किया जा सकेगा ।

3. मै ई-पंजीयन प्रणाली की अपेक्षानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख व अपलोड करूँगा/करूंगी जो मूल से सत्यापित किये जा सकेंगे।

4. यथानिर्धारित अनुसार मै संपत्ति के छायाचित्र व नक्शे अपलोड करूँगा/करूंगी ।

5. यदि हस्तांतरण विलेख में संपत्ति का मूल्य अथवा प्रतिफल राशि 05 लाख रूपए से अधिक है तो मेरे द्वारा स्थाई खाता संख्या अथवा समुचित रूप से भरे गये फार्म 60/61 जो भी स्थिति हो, उपलब्ध कराया जाएगा तथा उसकी प्रति अपलोड की जाएगी।

6. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूॅ कि मैं म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नही कर रहा/रही हूँ।

7. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूॅ कि मैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नही कर रहा/रही हूॅ।

8. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूॅ कि कि अपलोड किया जाने वाला संपूर्ण दस्तावेज

सही है तथा यदि कोई विवरण असत्य पाये जाते हैं तो मैं प्रचलित प्रावधान अनुसार दण्ड अभियोजन अथवा दोनों का भागी होऊॅगा/होऊँगी।

9. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हॅू कि लिखत में दिया गया संपत्ति का विवरण वही है, जो ई-पंजीयन प्रणाली में पंजीयन आरंभ के समय दिया एवं प्रविष्ट किया गया था। यदि यह पाया जाता है कि विवरण पंजीयन प्रारंभ में प्रविष्ट किये गए फील्ड्स के प्रतिकूल है तो मै अभियोजन का पात्र होऊँगा/होऊँगी तथा अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो मुझसे वसूला जा सकेगा।

10. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हॅू कि मैं दस्तावेज के अभिवर्णन में उल्लिखित संपत्ति के विवरण जो शुल्क को प्रभावित कर सकते हैं वे संपत्ति की वास्तविक स्थिति एवं दशा के अनुसार ही हैं यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो मैं कमी शुल्क के भुगतान दण्ड अभियोजन के लिये उत्तरदायी होऊॅगा/होऊॅगी।

11. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हॅू कि मेरे द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22&क के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया जा रहा है।

12. किसी भी पक्षकार की पहचान अथवा स्वत्व के संबंध में विभाग उत्तरदायी नही होगा। दस्तावेज की अंतर्वस्तु अनुसार ही उसका पंजीयन किया जाता है।